संख्या- 42/2025/3368/58-1-2025/003-54-2002-002-3-2021

प्रेषक,

अवनीश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 30 सितंबर, 2025

विषय:- वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या 49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-समन्वित बाल विकास योजना के मानक मद-61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण में वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-711/बा0वि0परि0/लेखा/2025-26, दिनांक 18.09.2025 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-21/2025/1068/58-1-2025/001-54-2002-002-3-2021, दिनांक 08 अप्रैल, 2025 एवं शासनादेश संख्या-33/2025/2009/58-1-2024/002-54-2002-002-3-2021, दिनांक 24 जून, 2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-समन्वित बाल विकास योजना के मानक मद 61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण" में प्रावधानित धनराशि रू0 140690.00 लाख के सापेक्ष क्रमशः रू0 29488.00 लाख एवं रू0 1705.75 लाख कुल रू0 31193.75 लाख (रू0 तीन अरब ग्यारह करोड़ तिरानबे लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है।

उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक ''2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-समन्वित बाल विकास योजना के मानक मद 61-केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस0एन0ए0 में अन्तरण" में प्रावधानित धनराशि रू0 140690.00 लाख के सापेक्ष केन्द्रांश रू0 18716.25 लाख एवं राज्यांश रू0

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

12477.50 लाख अर्थात कुल रू0 31193.75 लाख (रू0 तीन अरब ग्यारह करोड़ तिरानबे लाख पिचहत्तर हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(2) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ यह सुनिश्चित करेंगे कि योजनान्तर्गत निर्गत की जाने वाली धनराशि की द्विरावृत्ति न हो।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही किया जायेगा एवं योजना हेतु समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्गत सुसंगत शासनादेशों/मानकों/ दिशा-निर्देशों/गाइडलाइन्स तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है, तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे।

(5) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है, अन्यथा की स्थिति में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का दायित्व होगा कि वह शासन को तत्काल आवश्यक नियमतः कार्यवाही कर अवगत करायें।

(6) वित्तीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ का होगा।

(7) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार स्तर से बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(8) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(9) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा सुनिश्चित किया जाय।

(10) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार स्तर से यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि समस्त केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश की पुष्टि के उपरान्त, केवल प्राप्त केन्द्रांश के समतुल्य धनराशि तथा उसके संगत राज्यांश की धनराशि ही योजना के एस.एन.ए. एकाउण्ट में स्थानान्तरित की जायेगी ।

(11) केन्द्र प्रायोजित योजनाओं में केन्द्रांश प्राप्त करने के लिये वित्तीय वर्ष की प्रथम छमाही में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर केन्द्रांश प्राप्त किया जायेगा। वित्तीय वर्ष की द्वितीय छमाही में केन्द्रांश प्राप्त होने में विलम्ब की दशा में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की उतनी ही धनराशि अन्तरित की जाय, जिसका वित्तीय वर्ष में पूर्ण उपभोग हो जाय, अन्यथा वितीय वर्ष के अन्त में एस.एन.ए. खाते मे राज्यांश की अवशेष अव्ययित (unspent) धनराशि का होना वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार द्वारा एस.एन.ए. खाते में राज्यांश की धनराशि पर अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा । उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत यदि अवमुक्त राज्यांश के सापेक्ष संगत केन्द्रांश कम प्राप्त होता है तो ऐसी दशा में, अधिक अवमुक्त राज्यांश की धनराशि को समायोजित करते हुये वित्तीय स्वीकृति जारी की जायेंगी।

(12) पी.एफ.एम.एस. डिवीजन, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-F.No.1(13)PFMS/FCD/2020, दिनाँक 23 मार्च, 2021 द्वारा केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के सम्बन्ध में दिनाँक 01 जुलाई, 2021 से एस.एन.ए. माड्यूल लागू किया गया है। इस सम्बन्ध में केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त केन्द्रांश के उपयोग के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के सम्बन्धित मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश, उक्त योजनाओं के संगत राज्यांश पर भी लागू होंगे, जिसका सम्पूर्ण अनुपालन का दायित्व निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का होगा।

(13) धनराशि का निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार/ विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/ केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष / नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

(14) निदेशक, बाल विकास सेवा पुष्टाहार द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में निदेशक, बाल विकास सेवा पुष्टाहार स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(15) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं (Centrally Sponsored Schemes) तथा अन्य संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित योजनाओं के अन्तर्गत विगत वर्षों में हुये व्यय की प्रतिपूर्ति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध में निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार का यह दायित्व होगा कि समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करते हुये व्यय की प्रतिपूर्ति सुनिश्चित करायें। वे कृपया यह भी सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार/ अन्य संस्थाओं को आवश्यक अभिलेखों सहित प्रतिपूर्ति दावे समय से प्रस्तुत किये जायें ताकि इसके अभाव में प्रतिपूर्ति दावों के भुगतान में कठिनाई/विलम्ब न हो ।

(16) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार स्तर से सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय ।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,11,93,75,000 (रुपये तीन अरब ग्यारह करोड़ तिरानबे लाख पचहत्तर हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 049 **लेखा शीर्षक** 2235021020102 समन्वित बाल विकास योजना (के.60/रा.40-के.+ रा.) **मानक मद** 61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या-E-4-68-X-2025-26 दिनांक 30.09.2025 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-42/2025/3368(1)/58-1-2025/003-54-2002-002-3-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अवनीश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।